न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 22/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड (जो पूर्व में ए. यू. हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यावसायिक कार्यालय 201–202, 2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर–302020।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. रिछपाल मीणा पुत्र गणपत, जाति मीणा, निवासी 108, रामपुरा, तह. श्रीमाधोपुर जिला सीकर पिन कोड– 332709। ऋणी
2. रूकमणी देवी पत्नी रिछपाल, जाति मीणा, निवासी 108 रामपुरा, तह. श्रीमाधोपुर, जिला सीकर पिन कोड– 332709। सहऋणी
3. विनोद कुमावत पुत्र रामपाल कुमावत, जाति मीणा, निवासी लुना की ढ़ाणी, वार्ड नम्बर 11, खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं पिन कोड–333503। जमानती

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 24 अप्रैल, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री विजय सिंह तंवर द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण रिछपाल मीणा, रूकमणी देवी, विनोद कुमावत को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में रिछपाल मीणा पुत्र गणपत की सम्पति जो ग्राम घाटेश्वर खण्डेला जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2271 वाकै ग्रम खण्डेला में एक किता लघु आवासीय भू–खण्ड सं. 16 जिसके पट्टा संख्या 770 है, जो पूर्व स्वामी सब्जअली पुत्र इमामबक्स जाति कलाल (मुसलमान) निवासी खण्डेला के पक्ष में 6096.22 वर्गगज भूमि का दिया गया था, जिसको सब्जअली द्वारा ऋणी रिछपाल मीणा को जरिये विकय पत्र दिनांक 12.08.2016 को विकय किया गया, जिसका पंजीयन उप–पंजीयक कार्यालय में दिनांक 12.08.2016 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 165 के पृष्ठ संख्या 179 कम संख्या 2176 तथा अतिरिक्त पुसतक संख्या 1 जिल्द संख्या 293 पेज नबर 26 पर पंजीबद्व हुआ जिसका

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

अभिभाषकता स्वीकार

Scanned by CamScanner

नाप 175 वर्गगज है। जिसके उत्तर में प्लॉट नम्बर 17, दक्षिण में प्लॉट नम्बर 15, पूर्व में प्लॉट नम्बर 21, पश्चिम में रास्ता है, को बंधक रखकर 6,50,000/–रूपये (अक्षरे रूपये छः लाख पच्चास हजार लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 09.12.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। ऋणी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बैंक कर्मचारी/प्रतिनिधी धर्मपाल सैनी द्वारा बिना गारन्टी के ऋण दिलवाया था। गारन्टर के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ऋणी द्वारा कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया गया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 09.12.2017 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण रिछपाल मीणा, रूकमणी देवी, विनोद कुमावत की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रिछपाल मीणा पुत्र गणपत की सम्पति जो ग्राम घाटेश्वर खण्डेला जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2271 वाकै ग्रम खण्डेला में एक किता लघु आवासीय भू–खण्ड सं. 16 जिसके पट्टा संख्या 770 है, जो पूर्व स्वामी सब्जअली पुत्र इमामबक्स जाति कलाल (मुसलमान) निवासी खण्डेला के पक्ष में 6096.22 वर्गगज भूमि का दिया गया

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

था, जिसको सब्जअली द्वारा ऋणी रिछपाल मीणा को जरिये विकय पत्र दिनांक 12.08.2016 को विकय किया गया, जिसका पंजीयन उप-पंजीयक कार्यालय में दिनांक 12.08.2016 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 185 के पृष्ठ संख्या 179 कम संख्या 2176 तथा अतिरिक्त पुसतक संख्या 1 जिल्द संख्या 293 पेज नबर 26 पर पंजीबद्व हुआ जिसका नाप 175 वर्गगज है। जिसके उत्तर में प्लॉट नम्बर 17, दक्षिण में प्लॉट नम्बर 15, पूर्व में प्लॉट नम्बर 21, पश्चिम में रास्ता है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

7. आदेश आज दिनांक: 24 अप्रैल, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner